कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./20–21 दिनांक 31·07·2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर (एफडीआर) के रूप में प्रोत्साहन योजना के सम्बध में विस्तृत दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(17)शिक्षा–1/2007,जयपुर दिनांक 14.12.2007 एवं दिनांक 19.12.2007 तथा राज्य सरकार के पत्रांक प.1(14) शिक्षा–1/2008 दिनांक 20.10.2008 एवं दिनांक 08.12.2008 के अनुसार राज्य में **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा–8 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट–एस.टी.डी.आर) योजना संचालित की जा रही है।** कक्षा 10 में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंको से उतीर्ण कर सत्र 2020–21 राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/–रूपये की एस.टी.डी.आर पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। तथा कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंको से उतीर्ण कर सत्र 2020–21 किसी स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा को 4000/–रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि के लिए देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जायेगी। इसकी पात्रता एंव शर्ते निम्नानुसार हैः

पात्रता

- **शैक्षिक सत्र 2017–18 में किसी बालिका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2019–20 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 उतीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2020–21 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 मे नियमितं अध्ययनरत हो।**
- **किसी बालिका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2019–20 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 12 उतीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2020–21 में किसी राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।**

कक्षा	राशि रूपयो में	एफडीआर की न्यूनतम सीमा
XI	**2000/-**	**05 Year**
स्नातक प्रथम के लिए	**4000/-**	**03 Year**

<u>सामान्य शर्ते</u>

1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढाई अवरूद्व हो जाने की स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से 3 वर्ष तक अधिक अवधि में भी स्नातक परीक्षा उतीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उतीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठयक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक,राजकीय/ गैर राजकीय, सभी महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर योजना का लाभ देय होगा।
2. छात्रा को एस.टी.डी.आर. स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
3. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।

4. छात्रा द्वारा एस.टी.डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) को प्रस्तुत करना होगा।

5. छात्रा की एस.टी.डी.आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहा कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

6. **विद्यालय के संस्था प्रधान को** छात्रा का पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र एवं छात्रा की एक अतिरिक्त फोटो को **प्रपत्र–1(अ एवं ब)** में सुचना भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) में जमा करवानी होगी।

7. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. एस. बी आई बैंक की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तो के अनुसार ही बनवाई जा कर दी जावेगी।

8. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय** को रजिस्टर में **प्रपत्र–1(अ एवं ब)** के अनुसार सूचनाएं संकलित कर एवं इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव **प्रपत्र–2** में तैयार करके दिनांक **30.10.2020** तक संकलित सूचना **प्रपत्र–1(अ एवं ब) एवं प्रपत्र–2** में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

9. अभिलेख में समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस.टी.डी.आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।

10. प्रति वर्ष समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईडिगं करवा ले।

11. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहा तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पडे।

12. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में स्थाई पंजिका 2020–21 अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटो प्रतियां नत्थी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें।

इस योजना को समस्त संस्था प्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में निशुल्क समाचार के रूप में एंव अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

संलग्न :– आवेदन पत्र एवं प्रपत्र–1(अ एवं ब), 2

31.7.2020

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. समस्त सयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि सतत प्रबोधन करते हुए अपने अधीनस्थ जिलों के प्रस्ताव दिनांक 30.10.2020 तक इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त संस्थाप्रधन को पाबन्द करें कि पात्र बालिकाओं को आवेदन पत्र भरवाकर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में जमा करावें।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

31.7.2020

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा को स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर. के रूप में प्रोत्साहन राशि हेतु

आवेदक का फोटो चिपकाएं

आवेदन पत्र

1. नाम ....
2. जन्म तिथि(DD/MM/YYYY) ....
3 छात्रा की माता का नाम..
4. छात्रा के पिता का नाम..
5. स्थायी निवास का पता...

....मो. नम्बर ....

6. छात्रा का आधार नंबर..
7. छात्रा का जनाधार नंबर..
8. कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 8 उतीर्ण की गई..
9. कक्षा 8 में प्राप्तांक (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..
10. राजकीय विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 10 उत्तीर्ण की गई..
11. कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत(अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..................................
12. राजकीय विद्यालय का नाम जहां कक्षा 11 में अध्ययनरत है...
13. राजकीय विद्यालय का नाम जहां कक्षा 12 में अध्ययनरत है...
13. कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत(अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..................................
14. स्नातक पाठयक्रम में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम...

<u>छात्रा व अभिभावक का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त समस्त सूचनाएं सही हैं। सूचनाएं अपूर्ण एवं मिथ्या पाएं जाने पर अपात्र धोषित किया जा कर विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की स्थिति में हम स्वयं जिम्मेदार होगें।

माता/पिता के हस्ताक्षर

छात्रा के हस्ताक्षर

....

<u>संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा..पुत्री श्री/श्रीमती..सत्र .... में इस संस्था.. की कक्षा .... में अध्ययनरत है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

....

<u>(कार्यालय उपयोगार्थ)</u>

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा ....पुत्री श्री/श्रीमती..एस.टी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पात्र/अपात्र है। अपात्र होने का कारण यह है कि..

....

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

....

<u>जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा एस.टी.डी.आर. का इद्राज</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्रा को एस.बी.आई. बैंक की शाखा.. द्वारा जारी एस.टी.डी.आर. नम्बर .... दिनांक .... राशि...........................का इस कार्यालय के रजिस्टर सं. .... में क्रमांक .... पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय.........................

प्रपत्र–1–अ (कक्षा 11 के लिए)

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	स्थाई निवास का पता	मोबाइल नम्बर	जाति वर्ग	कक्षा 8 की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय का नाम	कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत/ग्रेड	कक्षा 10 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 11 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	प्रति छात्रा को 2000/–रूपये की दर से 5 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी.आर. की राशि नम्बर व दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	14
1													

प्रपत्र–1–ब (कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष के लिए)

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	स्थाई निवास का पता	मोबाइल नम्बर	जाति वर्ग	कक्षा 8 की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय का नाम	कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत/ग्रेड	कक्षा 12 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत	प्रथम वर्ष में अध्ययनरत महाविधालय का नाम	प्रति छात्रा को 4000/–रूपये की दर से 3 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी.आर. की राशि नम्बर व दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12.	13.	14
1													

प्रपत्र–2 (केवल जिशिअ के लिए)

क.सं.	जिले का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 2000/–रूपये की दर से कुल मांग	स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 4000/–रूपये की दर से कुल मांग	कुल मांग (कॉलम सं. 4 + 6 योग)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.